

No. 10
from District
Dy. Sdho

77-10-12 पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत
राज्य शासकी ने अधिनियम का पारित किया है
जिससे कि जिले का नाम बदल दिया गया है।
अब जिले का नाम बीसा है। यह एक
अपवाद है। यदि कोई अन्य जिले का नाम
बदलाना चाहता है तो उसे भी इसी
अनुसूची के अन्तर्गत पारित करना होगा।
किस प्रकार यह है।

उपखण्ड अधिकारी
तहसील बीसा (राज)